बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

परिचय

- बायो–फ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में ऊभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। डीजल के विकल्प के रूप में बायो–फ्यूल ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान की बंजड़ भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो–फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में ''बायो–फ्यूल मिशन'' का गठन किया गया। मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायो–फ्यूल पॉलिसी घोषित कर अलग से बायो–फ्यूल प्राधिकरण (BFA) का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तैलिय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए है।

उद्देश्य

- बायोफ्यूल प्राधिकरण का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षैत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षैत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

मुख्य बिन्दु

- जिले में उपलब्ध काश्त योग्य बंजड भूमि का न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, कृषि सहकारी समिति एवं पंजीकृत समिति एवं ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को आवंटित की जावेगी। जिसमें बी.पी. एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी। शेष काश्त योग्य बंजडभूमि, अधिकतम 30 प्रतिशत भाग, भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत निजी कम्पनियों एवं राजकीय उपक्रमों को आवंटित करने का प्रावधान है।

- उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किया जावेगा –
  - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
  - बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
  - पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
  - उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
  - रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती

- बायो–फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा

- जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।
- राजफेड द्वारा रतनजोत की 9/– रूपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
- वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 135 दिनांक 09.03.08 के द्वारा रतनजोत, क्रूड बायोडीजल एवं 100 प्रतिशत बायो डीजल (B-100) को VAT से मुक्त कर दिया गया है।

उपलब्धियां

- चिन्हित 12 जिलों के कलक्टर्स द्वारा कुल 41127 हैक्टेयर बंजड़ भूमि चिन्हित की गई हैं। जिसमें से 12858.50 हैक्टेयर भूमि आंवटित की जा चुकी हैं। 8436.95 हैक्टेयर भूमि 941 स्वयं सहायता समूहों को (बीपीएल परिवारों के) तथा 4421.56 हैक्टयर 418 ग्राम पंचायतों को रतनजोत की खेती हेतु गैर खातेदारी आधार पर आंवटित की जा चुकी है।
- भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 और 2006–07 में क्रमशः रू 225 लाख व रू. 500 लाख कुल 725.00 लाख रतनजोत पौधारोपण हेतु आंवटित किये गये थे। राशि से जिलो में रतनजोत के पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2010 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य (पौध तैयार करने का)	उपलब्धियॉ (पौध तैयार करने की)	पौधारोपण	राशि का उपयोग
2006–07	75.00	66.00	61.00	191.80
2007–08	174.00	147.81	134.01	292.80
2008–09	38.85	46.63	46.63	124.50
2009–10	30.75	9.94	6.83	25.86
2010–11 (दिसम्बर, 10तक)	22.10	9.21	9.21	18.45

- भारत सरकार द्वारा राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ खण्ड में तथा बांसवाड़ा जिले के गढ़ी खण्ड में रतनजोत के मॉडल के रूप में एक पायलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत पौधारोपण का कार्य चल रहा है। इस परियोजना में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं शुष्कवन अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर का तकनिकी सहयोग लिया जा रहा है।
- वर्ष 2011–12 से रतनजोत के पौधारोपण का कार्य नरेगा के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष की कार्य योजना में प्रावधान करने के निर्देश जारी कर दिये गये है।

राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड

- राज्य बंजरभूमि विकास, बंजर भूमि विकास से संबंधित सभी विभागों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप से जल एवं भू–संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी, चारागाह विकास व बायोफ्यूल गतिविधियों हेतु समुचित रूप से दीर्घकालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने एवं बंजर भूमि पर किए वृक्षारोपण से प्राप्त उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

- **बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 14.10.2009 को आयोजित हुई जिसमें :–**

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का श्रेणीवार (पंचायत भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व भूमि, वनभूमि, अनाधिकृत कब्जे वाली बंजर भूमि इत्यादि) एवं पंचायत समिति अनुसार विवरण जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करानें।
2. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का चिन्हिकरण कर उसको अन्य योजनाओं के साथ विकसित करनें,।
3. राज्य में विदेशी बबूल को जड से उखाडकर कोयला बनाने पर पाबन्दी लगाने जैसे निर्णय लिए गए है।

बिन्दु संख्या 3 की क्रियान्विति हो चुकी है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की क्रियान्विति की जा रही है।